

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-25/2006

/कृ०, पटना, दिनांक

2014.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मे० इन्सेक्टीसाइड (इण्डिया) लि०,

अनवरपुर, डाकबंगला रोड,

हाजीपुर, वैशाली।

विषय :-

कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 132-133 दिनांक 28.09.2006 का नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन, कोषागार चालान एवं कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, हाजीपुर द्वारा समर्पित स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत मेसर्स इन्सेक्टीसाइड (इण्डिया) लि० इण्डस्ट्रीयल सेन्टर सम्भा जम्मू (जम्मू एण्ड काश्मीर) एवं मे० इन्सेक्टीसाइड इण्डस्ट्रीयल एरिया अलवर, राजस्थान द्वारा स्वविनिर्मित निम्नालेखित कीटनाशियों से संबंधित बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 132-133 दिनांक 28.09.2006 का नवीकरण उनके विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैधता तिथि 31.12.2015 तक के लिए किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम	क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Cypermethrin 10% EC	40	Methyl Parathion 2% DP
2	Stephomyacin Sulphate 1% + Tetracyclin- Hydrochloride 9% SP	41	Moncrothophos 36% SP
3	2,4,D Ethyl-Easter 38% EC	42	Quinalphos 25% EC
4	Alphamethrin 10% EC	43	Malathion 50% EC
5	Acephate 75% EC	44	Triacoutanal EC 0.05% Min
6	Atrazine 50% QP	45	Pendimethalime 30% EC
7	Anilophos 30% EC	46	Thionphanate Methyl 70% WP
8	Butaclor 50% EC	47	Pretilachlor 50% EC
9	Butaclor 5% G	48	Lambda-byhalothrin 10% WP
10	Carbendazin 50% WP	49	Lambda Cyhalorhrin 5% EC
11	Chlorpyriphos 20% EC	50	Induacarb 14.5% SC
12	Chlorpyriphos 10% GR	51	Ethion 50% EC
13	Fipronil 0.3% GR	52	Ethion 40%+Cypermethrin 5% EC
14	Fipronil 5% SC	53	Piroxofop-proparyl (clodinafop+propargyl) 155 WP
15	Acetamipride 20% SP	54	Paraquate dischloride 24% SL
16	Sulphar 80% WDG	55	Mitsulfuron Methyl 20% WP
17	Carbofuran 3% CG	56	Ziram 27% SC
18	Triazophos 40% EC	57	Tricyclazole 75% WP
19	Imidaclopride 17.8% SL	58	Chlorpyriphos 1.5% DP
20	Metribuzin 70% WP	59	Thira Methoxam 25% WG
21	Hexaconazole 5% EC	60	Ethephion 39% SL
22	Profenophos 40%+Cypermethrin 4% EC	61	Sulfosulfuron 75% WG
23	Carbendazim 12%+Mancozeb 63% WP	62	Chlorpyriphos 2% RTU
24	Glyphosate 41% SL	63	Cypermethrin 1.0% Chalk
25	Mancozeb 64%+Metalaxy 8% WP	64	Prellethrin 1.6% liquid
26	Metalazyl 35% WS	65	2-4-D amine Salt 58% SL
27	Cartap Hydrochloride 50% SP	66	Chlorpyriphos 16%+Alpha Cypermethrin 1% EC
28	D-trans Allethrin 0.15 Mosquito coil	67	Chlorpyriphos 50% EC
29	Acephate 50% + Lmidaclopride 1.8% SP	68	Amonium Salt of Glyphosate 71% SG
30	Myclobutanil 10% WP	69	Alpha nathyl Acetic Acid 4.5% SL
31	Fenpyroximate 5% EC	70	2-4-D Sodium Salt 80% WP
32	Captan 70% + Hexacouozale 5% WP-	71	Validamycin 3% L
33	Lambdacyhalothrin 4.9%	72	Triazophos 35%+Deltamethrin 1% EC
34	Carbendazim 46.27% SC	73	Butachlor 50% EW
35	Buprofezin 25% SC	74	Cartap Hydrochloride 4% GR
36	Fenaverate 20% EC	75	Chlorimuron Ethyl 25% WP
37	Isoproturon 75% EC	76	Copper Oxy Chloride 50% WP
38	Mancozeb 75% WP	77	Difenoconazole 25% EC
39	Methyle Parathion 50% EC	78	Dimethoate 30% EC

79	Emamectine Benzoate 5% SG	90	Phorate 10% CG
80	Fenobucarb 50% EC (B.P.M.C)	91	Phosphamidon 40% SL
81	Fenvalerate 0.4% DP	92	Pretilachlor 30.7% EC
82	Gibberlic Acid (Tech)	93	Propiconazole 25% EC
83	Hexaconazole 5% SC	94	Quinalphos 1.5% DP
84	Imazethapyr 10% SL	95	Sulphur 80% WP
85	Imidachloprid 30.5% SC	96	Tebuconazole 25.9%
86	Imidachloprid 70% WG	97	Triaccontanol GR 0.05% Gr
87	Imidachloprid 70% WS	98	Triaccontanol EW 0.1% Min
88	Lambdacyhalothrin 2.5% EC	99	Thifluzamide 24% SC
89	Oxyfluorfen 23.5% EC		

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के निहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स इन्सेक्टीसाइड (इण्डिया) लि०, माणिक कॉम्प्लेक्स, जदुआ रोड, हाजीपुर।

3- यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4- अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण /विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6- अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7- नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

8- भारत सरकार से प्रतिबंधित कीटनाशियों का बिक्री भंडारण सर्वथा वर्जित है।

9- कीटनाशी अनुज्ञप्ति संख्या-132-133 दिनांक 28.09.2006 मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4763

/क०, पटना, दिनांक 28/11/2014

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/ सहायक कृषि निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना /जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना